

पूर्व मध्य रेल
अंतिम संशोधन पर्ची संख्या 09, दिनांक: 20.08.2024

संशोधन पर्ची संख्या - 10

(सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक - 2018)

14 मदों सहित निम्नलिखित संशोधन सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक- 2018 में किए गये हैं जो कि आवश्यक अनुपालन हेतु भेजे जा रहे हैं।

मद संख्या - 01

पृष्ठ संख्या 01 पर वर्तमान सामान्य नियम 1.01 का उप-नियम (1) और (2) को हटाकर इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें -

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण (संशोधन) नियम 2024 है।
(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।


पू.म.रे./ सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-10 दिनांक 30.08.2024

[प्राधिकार:- भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या:- 148, दिनांक 07.03.2024 एवं रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2023/सेप्टी (ए एंड आर)/19/09 दिनांक 12.03.2024]


मद संख्या - 02

पृष्ठ संख्या 40 पर निम्नलिखित को सहायक नियम 3.17 के उप-नियम (2), (3), (4) के रूप में जोड़ें-

- (2) स्टेशन यार्ड में सम्पार फाटक की रक्षा करने वाले अर्ध-स्वचल रोक सिग्नल (अर्थात् होम, स्टार्टर और एडवांस्ड स्टार्टर सिग्नल) को प्रज्वलित 'ए' मार्कर के अलावा प्रज्वलित 'एजी' मार्कर के साथ प्रदान किया जाना चाहिए।
(3) सम्पार फाटक की रक्षा करने वाले आशोधित अर्ध-स्वचल सिग्नल को प्रज्वलित 'ए' मार्कर के अलावा प्रज्वलित 'एजी' मार्कर के साथ प्रदान किया जाना चाहिए।
(4) (क) आशोधित अर्ध-स्वचल सिग्नल रोक (स्टॉप) सिग्नल की सांकेतिक आकृति



(ख) आशोधित अर्ध-स्वचल फाटक रोक (स्टॉप) सिग्नल की सांकेतिक आकृति



पू.म.रे./ सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-10 दिनांक 30.08.2024

मद संख्या - 03

पृष्ठ संख्या 132 पर सहायक नियम 4.19 के उप-नियम (2) (च) को सही करें और निम्नलिखित को उप-नियम (2)(छ) के रूप में जोड़ें -

- (च) प्राथमिक उपचार पेटी - गार्ड के उपकरण के रूप में रखा जाएगा ।
- (छ) रस्सी वाली सीढ़ी उपयुक्त हुक के साथ (02 अदद)- जुनि. सेक्शन इंजीनियर (सी एण्ड डब्ल्यू) द्वारा लादा जाएगा ।

पू.म.रे./ सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-10 दिनांक 30.08.2024

[रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 98/संरक्षा (ए एन्ड आर)/19/15 दिनांक 08.01.24]

मद संख्या - 04

पृष्ठ संख्या 213 पर सहायक नियम 5.06 के उप-नियम 1(क),(ख) च(1),(2),(3),(4),(6),(7),(9) में वर्तमान शब्द 'मंडल परिचालन प्रबन्धक' (डी.ओ.एम.) और 'मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर' (डी.एस.टी.ई.) को हटा दें और इसके स्थान पर क्रमशः 'मंडल परिचालन प्रबन्धक (इंचार्ज)' और 'मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर (इंचार्ज)' को प्रतिस्थापित करें।

पू.म.रे./ सामान्य एवं सहायक नियम- 2018 संशोधन पर्ची सं.-10 दिनांक 30.08.2024

[महाप्रबंधक /पू. म. रे.पत्र संख्या ECR/ACM/SEC/TRAFFIC/2018 दिनांक -13.09.2018]

मद संख्या - 05

पृष्ठ संख्या 219 पर सहायक नियम 5.13 के उप-नियम (ख) में पारा (vii) के रूप में निम्नलिखित को जोड़े

(vii) शॉटिंग संचलन (मूवमेंट) में पीछे धकेलते समय, ट्रेन को स्टार्टर/लोड/ट्रैप/डेड आदि से 50 मीटर पहले रोका जाएगा और फिर अन्य सावधानियों का पालन करते हुए सावधानीपूर्वक पीछे धकेला जाएगा ।

पू.म.रे./ सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-10 दिनांक 30.08.2024

मद संख्या -06

पृष्ठ संख्या 225 पर वर्तमान सहायक नियम 5.19 का उप-नियम (च) को हटाकर इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें -

(च) ज्योंही बाधित लाइन साफ हो जाता है त्योंही लीवर कॉलर एवं स्लाइड कॉलर/ सैफ्टी कॉलर, संबंधित लीवर/स्लाइड/पैनल पर से हटा दिया जाना चाहिए और प्रयोग करने वाले व्यक्ति के पास रख दिया जाना चाहिए। जहां होम सिग्नल एक से अधिक लाइनें हेतु लागू होता है वहां संबंधित कॉटा लीवर पर सैफ्टी कॉलर लगाकर छोड़ दिया जाएगा ।

जहां कहीं भी गाड़ी का लोड रनिंग लाइन पर स्टेबल किया जाता है वहां स्टेशन मास्टर की डायरी, टी.एस.आर. तथा स्टेबलिंग रजिस्टर में उपयुक्त प्राविष्टि कर दी जाएगी।

पू.म.रे./ सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-10 दिनांक 30.08.2024

मद संख्या - 07

पृष्ठ संख्या 227 पर वर्तमान सहायक नियम 5.23 का उप-नियम (1)(घ) को हटाकर इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें-

(घ) इंजन को लोड से अलग करने या शट डाउन करने से पहले, गाड़ी के दोनों सिरों के कम से कम छह (06) वैगनों के हैंड ब्रेक, गाड़ी के आगे की तरफ से सहायक लोको पायलट दवारा और पीछे की तरफ से गार्ड के दवारा कस कर लगाए जाएंगे और गार्ड की अनुपस्थित में कॉटेवाले के दवारा हैंड ब्रेक कस कर लगाये जाएंगे। कोचिंग वाहनों को स्टेबल किए जाने के मामले में एस.एल.आर. में गार्ड के हैंड ब्रेक आगे की तरफ सहायक लोको पायलट दवारा तथा पीछे की तरफ गार्ड के दवारा अवश्य लगाए जाएंगे।

पू.म.र./ सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-10 दिनांक 30.08.2024

मद संख्या - 08

पृष्ठ संख्या 230 पर, सहायक नियम 5.23 के उप-नियम (6) में दिए गए स्टेबलिंग रजिस्टर के प्रारूप में कॉलम संख्या 8 और 10 को हटाकर निम्नलिखित को उसके स्थान पर प्रतिस्थापित करें। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित को कॉलम संख्या 17 के रूप में जोड़ें और प्रारूप के अंत में नोट को भी जोड़ा जाए।

क्या एलपी/एलपी के द्वारा लोको के पहियों के नीचे लकड़ी के गुटखे/स्प्रैग लगाए गए हैं और आगे की तरफ से कम से कम छह वैगनों में ब्रेक वान के सहित तथा कोचिंग ट्रेनों के लिए फ्रंट एसएलआर के हैंड ब्रेक लगाए गए हैं।
--

8

क्या सबसे पीछे वाले वैगन/कोच के पहियों के नीचे लकड़ी के गुटखे/स्प्रैग लगाए गए हैं और गार्ड द्वारा पीछे की तरफ से से कम से कम छह वैगनों में हैंड ब्रेक लगाए गए हैं।
--

10

स्टेबल लोड के प्रस्थान का विवरण			
दिनांक	इंजन नंबर	प्रस्थान समय	स्टे.मा. का हस्ताक्षर
17			

नोट:- कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी को चलाने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि लकड़ी का गुटका (वूडेन वेज)/चेन हटाने तथा वैगनों/एसएलआर/ब्रेकवान के हैंड ब्रेक को रिलीज करने के लिए पॉइंट्समैन/शॉटिंग स्टाफ को तैनात कर दिया गया है।

लो.पा. और गार्ड, आगे बढ़ने से पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि चेन/ लकड़ी का गुटका (वूडेन वेज) हटा दी गई है और वैगनों/ब्रेकवान/ एसएलआर का हैंड ब्रेक रिलीज कर दिया गया है।

पू.म.र./ सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-10 दिनांक 30.08.2024

मद संखा - 09

पृष्ठ संख्या 291 पर, निम्नलिखित को सहायक नियम 9.01 के रूप में जोड़ें।

- 01 प्रत्येक दिशा में ऑटोमैटिक ब्लॉक सिगनलिंग क्षेत्र में दो स्टेशनों के बीच किसी एक ऑटोमैटिक रोक सिगनल को मॉडिफाइड सेमी-ऑटोमैटिक रोक सिगनल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस सिगनल में सफेद रोशनी से प्रज्ञवलित ए मार्कर लगा होता है तथा सिगनल पोस्ट पर बारी-बारी से नीली और सफेद रंग की पांच पट्टियां (3 नीली और 2 सफेद) लगाई जाती हैं।
- 02 दोनों सिरों के स्टेशन मास्टरों द्वारा, प्रत्येक सिरे पर दिए गए ऑटोमैटिक ब्लॉक सिगनलिंग (MABS) हार्ड/सॉफ्ट स्वीच के सेट को प्रचालित (ऑपरेट) करके मॉडिफाइड सेमी-ऑटोमैटिक स्टाप सिगनल के प्रचालन के तरीके का चयन किया जाएगा और यह सिगनल या तो ऑटोमैटिक सिगनल के रूप में अथवा ए मार्कर बुझा कर मॉडिफाइड सेमी-ऑटोमैटिक स्टाप सिगनल के रूप में प्रचालित किया जा सकता है। सम्बन्धित संकेत दोनों सिरों के स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध है जो वह संकेत करता है कि सिगनल ऑटोमैटिक पद्धति में है अथवा मॉडिफाइड सेमी-ऑटोमैटिक पद्धति में। ऐसा गेट सिगनल जिसे मिड-सेक्शन मॉडिफाइड सेमी-ऑटोमैटिक सिगनल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, उस पर 'A' एवं 'AG' मार्कर लगाये गए हैं। मॉडिफाइड ऑटोमैटिक ब्लॉक सिगनलिंग कार्यप्रणाली लागू होने के समय मॉडिफाइड ऑटोमैटिक ब्लॉक सिगनलिंग स्वीच ऑपरेट किये जाने पर ये मार्कर बुझ जाएंगे।
- 03 सामान्य परिस्थितियों में यह विनिर्दिष्ट (स्पेसिफाइड) सेमी-ऑटोमैटिक सिगनल जब ए मार्कर प्रज्ञवलित हो तो ऑटोमैटिक पद्धति में कार्य करेगा। असामान्य परिस्थितियों में जैसे कुहासा, खराब मौसम जिसमें व्यश्यता बाधित हो, जब मॉडिफाइड पद्धति लागू करनी हो तब गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर गाड़ी रिसीव करने वाले स्टेशन मास्टर से बात करेंगे और प्राइवेट नम्बरों का आदान प्रदान करेंगे, उसके बाद दोनों स्टेशन मास्टर मॉडिफाइड ऑटोमैटिक ब्लॉक सिगनलिंग (MABS) स्वीच को MABS की स्थिति में प्रचालित करेंगे। दोनों स्टेशन मास्टरों द्वारा ऐसा किये जाने पर तीनों सिगनलों (डिस्पैचिंग स्टेशन का ऐडवांस स्टार्टर सिगनल, मिड-सेक्शन मॉडिफाइड सेमी-ऑटोमैटिक स्टॉप सिगनल एवं रिसीविंग स्टेशन का होम सिगनल) का ए मार्कर बुझ जाएगा। तब दोनों दिशाओं में गाड़ियों का संचालन नवीन मॉडिफाइड पद्धति के अन्तर्गत किया जायेगा। मिड-सेक्शन मॉडिफाइड सेमी-ऑटोमैटिक स्टाप सिगनल के ऑन/ऑफ और ए मार्कर के जले अथवा बुझे का संकेत, ऐडवांस स्टार्टर सिगनल अथवा होम सिगनल (जैसा भी लागू हो) के संकेत के साथ-साथ दोनों स्टेशनों के वीडीयू/पैनल पर प्रदर्शित रहेगा।
- 04 इस प्रकार इस पद्धति के लागू हो जाने पर ऐसी इन्टरलॉकिंग व्यवस्था रहेगी कि जब मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी-ऑटोमैटिक सिगनल ए मार्कर बुझे होने पर कार्य कर रहा है तब इस सिगनल के प्रत्येक और केवल एक गाड़ी रहेगी और दोनों स्टेशनों के बीच दो से अधिक गाड़ियाँ नहीं रहेंगी जो कि दोनों स्टेशनों के बीच सिगनलिंग पद्धति द्वारा निर्धारित दिशा और समय के बीच सुनिश्चित किया जाएगा। मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी-ऑटोमैटिक सिगनल जब 'ऑफ' होगा तो उसका संकेत (हरा, दो पीला आदि) इस सिगनल और रिसीविंग स्टेशन के होम सिगनल के बीच स्थित ऑटोमैटिक सिगनलों के संकेतों एवं संख्या पर निर्भर करेगा।
- 05 डिस्पैचिंग और रिसीविंग स्टेशन के स्टेशन मास्टरों द्वारा नामित समय पर साथ-साथ कार्यवाही करने के उपरान्त एक बार यह पद्धति लागू हो गई और गाड़ियों का संचालन नवीन मॉडिफाइड पद्धति के अन्तर्गत शुरू हो गया तो यह पद्धति संचालन को ऊपर निर्धारित ढंग से स्वतः चालू रखेगी अर्थात् सम्बन्धित स्टेशन मास्टरों द्वारा ऐडवांस स्टार्टर सिगनल और मिड-सेक्शन मॉडिफाइड सेमी-ऑटोमैटिक स्टाप सिगनल को 'ऑफ' करने की प्रक्रिया प्रत्येक गाड़ी के लिए दुहरायी नहीं जाएगी। तब भी संबंधित स्टेशन मास्टरों के पास आवश्यकतानुसार ऐडवांस स्टार्टर सिगनल और होम सिगनल को मैनुअल मोड में रखने की सुविधा रहेगी। मॉडिफाइड सिस्टम लागू रहने के समय होम सिगनल मैनुअल मोड में कार्य करेगा।
- 06 ऑटोमैटिक सिगनलिंग पद्धति को पूर्व निर्धारित समय पर पुनः सामान्य रूप में स्थापित करने के लिए ट्रैन डिस्पैचिंग और ट्रैन रिसीविंग स्टेशन मास्टर प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान के साथ एक द्वारा से बात करेंगे और मॉडिफाइड ऑटोमैटिक ब्लॉक सिगनलिंग (MABS) स्वीच को ऑटोमैटिक ब्लॉक सिगनलिंग (ABS) की स्थिति में प्रचालित कर सामान्य पद्धति लागू करेंगे जिससे मिड-सेक्शन मॉडिफाइड सेमी-ऑटोमैटिक सिगनल पर ए मार्कर पुनः प्रज्ञवलित हो जाएगा। होम सिगनल और ऐडवांस स्टार्टर सिगनल के ए मार्कर की स्थिति कन्ट्रोलिंग स्टेशन मास्टरों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर निश्चित की जाएगी।
- 07 (i) मॉडिफाइड ऑटोमैटिक सिगनलिंग लागू करते समय संबंधित स्टेशन मास्टर, जहाँ तक हो सके, मिड-सेक्शन मॉडिफाइड सेमी-ऑटोमैटिक स्टॉप सिगनल को 'ऑन' रखने का प्रयास करेंगे ताकि सिगनल पर पहुँचने वाली गाड़ी के लोको पायलट को अचानक ब्रेकिंग न करनी पड़े। इसके साथ ही इस पद्धति को लागू करने से पूर्व ऐडवांस स्टार्टर सिगनल तथा होम सिगनल को मैनुअल मोड में रखेंगे।

(ii) सामान्य ऑटोमैटिक सिगनलिंग से मॉडिफाइड ऑटोमैटिक सिगनलिंग में परिवर्तन के समय ऐसा हो सकता है कि लोको पायलट जब मॉडिफाइड सेमी-ऑटोमैटिक सिगनल के पास पहुँच रहे हों तो इसका 'ए' मार्कर बुझा जाए और यह 'आँ' हो जाए। ऐसी स्थिति में लोको पायलट अपनी गाड़ी को रोक लेंगे और यदि सिगनल पाँच मिनट तक 'ऑफ' नहीं होता है तो अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्प्यूनिकेशन या सिगनल पोस्ट टेलीफोन से सम्पर्क स्थापित करेंगे और स्टेशन मास्टर के प्राइवेट नम्बर सहित मौखिक प्राधिकार मिलने के बाद अधिकतम 10 किमी प्रति घण्टा की गति से अगले ऑटोमैटिक सिगनल की जड़ तक जायेंगे और उस सिगनल के संकेत के अनुसार कार्य करेंगे।

यदि लोको पायलट सिगनल को पार कर गये हों तो रूकेंगे और सतर्कता पूर्वक अगले ऑटोमैटिक स्टॉप सिगनल तक इस प्रकार बढ़ेंगे की किसी भी अवरोध से पहले गाड़ी रोक सकने को तैयार रहें और उसके संकेत के अनुसार कार्य करेंगे।

08 सिगनलिंग व्यवस्था में परिवर्तन होने के बावजूद ऑटोमैटिक सिगनलिंग में ट्रेन पासिंग सम्बन्धी वर्तमान नियम/निर्देश लोको पायलट के लिए लागू रहेंगे। इस तरह खण्ड में सभी ऑटोमैटिक सिगनल सामान्यतः कार्य करेंगे और लोको पायलट इन सिगनलों को पार करते समय वर्तमान साधारण एवं सहायक नियमों का पालन करेंगे।

09 सिगनल और मॉडिफाइड ऑटोमैटिक ब्लॉक सिगनलिंग स्वीच के फेल होजाने पर कार्य संचालनपद्धति -
(क) एडवांस्ड स्टार्टर सिगनल का फेल होना -

जब 'ए' मार्कर बुझा है और डिस्प्यूचिंग स्टेशन का एडवांस्ड स्टार्टर सिगनल फेल हो गया है तो स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि ठीक पहले जाने वाली गाड़ी मिड-सेक्षन मॉडिफाइड सेमी-ऑटोमैटिक स्टॉप सिगनल और उसके आगे पर्याप्त दूरी तक चली गई है लोको पायलट को सिगनल अँन की स्थिति में पास करने के लिए लिखित प्राधिकार टी/369 (3बी) जारी करेंगे जिस पर प्राइवेट नम्बर अंकित करना आवश्यक नहीं है। यदि डिस्प्यूचिंग स्टेशन मास्टर एडवांस्ड स्टार्टर सिगनल और मिड-सेक्षन मॉडिफाइड सेमी-ऑटोमैटिक सिगनल के बीच के खण्ड का साफ होना (क्लियरेंस) सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो वह रिसीविंग स्टेशन मास्टर से बात करेंगे और प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान के अन्तर्गत यह पुष्टि करेंगे कि ठीक पहले जाने वाली गाड़ी अगले स्टेशन पर पूरी-पूरी पहुँच गई है, इसके बाद लोको पायलट को खराब एडवांस्ड स्टार्टर सिगनल को 'आँ' की स्थिति में पास करने के लिए टी/369 (3बी) प्राधिकार पर अधिकत करेंगे। उपर्युक्त दोनों मामलों में लोको पायलट अगले ऑटोमैटिक सिगनल की जड़ तक अधिकतम 10 किमी प्रति घण्टा की गति से जाएंगे और सा.नि. 9.02 एवं स.नि. 3.61 (च) का अनुपालन करते हुए उस सिगनल के संकेत के अनुसार कार्य करेंगे।

(ब) मिड-सेक्षन मॉडिफाइड सेमी-ऑटोमैटिक स्टॉप सिगनल का फेल होना -

(i) यदि मिड सेक्षन मॉडिफाइड सेमी-ऑटोमैटिक स्टॉप सिगनल खराब हो जाय और/अथवा किसी कारण से 'आँ' संकेत प्रदर्शित करे, लोको पायलट मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्प्यूनिकेशन (एम टी आर सी)/मिड-सेक्षन मॉडिफाइड सेमी-ऑटोमैटिक स्टॉप सिगनल पर लगे हुए सिगनल पोस्ट टेलीफोन (एस पी टी) पर रिसीविंग स्टेशन मास्टर से सम्पर्क स्थापित करेंगे और उसकी सूचना देंगे। स्टेशन मास्टर लोको पायलट को आगे बढ़ने के लिए प्राइवेट नम्बर के साथ तभी प्राधिकृत करेंगे जब कि ठीक पहले आने वाली गाड़ी उनके स्टेशन पर पूरी-पूरी पहुँच गई हो। लोको पायलट अपनी डायरी में प्राइवेट नम्बर लिखने के बाद अगले ऑटोमैटिक सिगनल की जड़ तक अधिकतम 10 किमी प्रति घण्टा की गति से जाएंगे और सा.नि. 9.02 एवं स.नि. 3.61/(च) का अनुपालन करते हुए उस सिगनल के संकेत के अनुसार कार्य करेंगे। यदि टेलीफोन उपलब्ध नहीं है अथवा खराब है और लोको पायलट स्टेशन मास्टर से सम्पर्क नहीं कर पा रहे हैं तथा सिगनल 'आँ' स्थिति में बना हुआ है, वह 5 मिनट तक प्रतीक्षा करेंगे और यदि सिगनल फिर भी 'आँ' ही रहता है, तो वह सा.नि. 9.02 एवं स.नि. 3.61/(च) के अनुसार आगे बढ़ेंगे और उसकी सूचना लिखित मेमो द्वारा अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को देंगे।

(ii) ट्रेन रिसीविंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर ऐसा अवगत हो जाने पर कि 'ए' मार्कर बुझा हुआ है, मिड-सेक्षन मॉडिफाइड सेमी-ऑटोमैटिक स्टॉप सिगनल खराब हो गया है, ट्रेन डिस्प्यूचिंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर को इसके बारे में सूचित करेंगे जो डिस्प्यूचिंग स्टेशन मास्टर किसी गाड़ी को भेजने से पहले अगले स्टेशन तक पूरे खंड को एक ब्लॉक सेक्षन मानते हुए ट्रेन रिसीविंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान के अन्तर्गत लाइन क्लियर प्राप्त करेंगे। रिसीविंग स्टेशन मास्टर तभी लाइन क्लियर प्राप्त करेंगे जब कि ठीक पहले जाने वाली गाड़ी उनके स्टेशन पर पूरी-पूरी पहुँच गई हो। तब डिस्प्यूचिंग स्टेशन मास्टर लोको पायलट को खराब मिड-सेक्षन मॉडिफाइड सेमी-ऑटोमैटिक सिगनल को बिना रूके पास करने के लिए टी/3.69(1) लिखित प्राधिकार जारी करेंगे। इस प्राधिकार पत्र पर यह उल्लेख करते हुए कि अगले स्टेशन तक ब्लॉक खंड के लिए प्राइवेट नंबर के अंतर्गत लाइन क्लियर प्राप्त है, प्राइवेट नंबर का उल्लेख प्राधिकार पर किया जाएगा। लोको पायलट खंड के अन्य सभी ऑटोमैटिक सिगनलों को सा.नि. 9.02 एवं स.नि. 3.61/(च) का अनुपालन करते हुए आगे बढ़ेंगे।

यदि मिड-सेक्शन मॉडिफाइड सेमी- ऑटोमैटिक स्टॉप सिगनल किसी समपार की रक्षा कर रहा हो तो कन्ट्रोलिंग स्टेशन मास्टर किसी गाड़ी को लाइन क्लियर देने अथवा उस ब्लाक खंड में प्रवेश करने की अनुमति देने (जैसा भी हो) से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि समपार फाटक सङ्क यातायात के लिए बन्द है। ब्लाक खंड में केवल एक गाड़ी भेजने की यह पद्धति तब तक जारी रहेगी जब तक कि मिड-सेक्शन मॉडिफाइड सेमी- ऑटोमैटिक स्टॉप सिगनल ठीक नहीं हो जाता ।

(ग) होम सिगनल का फेल होना -

यदि होम सिगनल खराब हो जाता है तो रिसीविंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर कॉलिंग ऑन सिगनल (यदि उपलब्ध है) 'ऑफ' करके, अथवा यदि कॉलिंग ऑन सिगनल भी खराब है, तो लिखित प्राधिकार टी/369 (3बी) जारी करके गाड़ी को रिसीव करेंगे।

(घ) मॉडिफाइड ऑटोमैटिक ब्लॉक सिगनलिंग स्वीच का फेल होना -

यदि मॉडिफाइड ऑटोमैटिक ब्लॉक सिगनलिंग स्वीच के प्रचालन से किसी विशिष्ट खंड के मिड-सेक्शन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमैटिक सिगनल का ए मार्कर नहीं बुझता है तो दो समीपवर्ती स्टेशनों के बीच सम्बन्धित दिशा में मॉडिफाइड ऑटोमैटिक ब्लॉक सिगनलिंग पद्धति को फेल माना जाएगा। तब स्टेशन मास्टरों द्वारा वीडीयू/पैनल पर उपलब्ध सुविधा के द्वारा ऐडवांस्ड स्टार्टर सिगनल और होम सिगनल को मैनुअल मोड में बदलने के लिए ए मार्कर को बुझाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, दो समीपवर्ती स्टेशनों के बीच मॉडिफाइड ऑटोमैटिक सिगनलिंग पद्धति लागू होने और कुछ समय तक सफलतापूर्वक कार्य करने के बाद किसी समय किसी कारणवश फेल हो सकती है। उपर्युक्त दोनों मामलों में प्रभावित खण्ड के डिस्पैचिंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर उस खण्ड में कोई गाड़ी तब तक नहीं भेजेंगे जब तक कि ठीक पहले जाने वाली गाड़ी रिसीविंग स्टेशन पर पूरी-पूरी पहुँच न गई हो, जिसकी पुष्टि दोनों स्टेशन मास्टरों के बीच प्राइवेट नम्बरों के आदान प्रदान के द्वारा की जाएगी।

नोट:-

01. लोको पायलटों और सम्बन्धित लोको निरीक्षकों को मॉडिफाइड ऑटोमैटिक सिगनलिंग पद्धति लागू करने की सम्भावित अवधि अग्रिम रूप से शेड नोटिस के द्वारा सूचित की जाएगी, जो कि सामान्यतः 20 दिसम्बर से 31 जनवरी तक 20:00 बजे से 08:00 बजे तक रहेगा जिसे कोहरे की विद्यमानता के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। स्टेशन पर एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें मॉडिफाइड ऑटोमैटिक सिगनलिंग के लागू होने और रद्द होने का समय स्टेशन मास्टरों के द्वारा अंकित किया जाएगा। इस पद्धति को जारी रखने अथवा रोक देने सम्बन्धी निर्णय मंडल के वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबन्धक द्वारा लिया जाएगा और स्टेशन मास्टरों एवं सेक्शन कन्ट्रोलरों को कन्ट्रोल मैसेज के माध्यम से तथा लोको पायलटों एवं गाड़ी को क्रू/गार्ड लाबी के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

02. मॉडिफाइड सिस्टम असामान्य परिस्थितियों में, जैसे कुहासा, खराब मौसम जिसमें दश्यता बाधित हो, वरि. मण्डल परिचालन प्रबन्धक के निर्देशानुसार लागू किया जाएगा तथा निरस्त किया जाएगा।

10 साफ मौसम में जब लोको पायलट को किसी विशिष्ट खंड/खंडों या स्टेशनों के बीच मिड-सेक्शन मॉडिफाइड सेमी- ऑटोमैटिक स्टॉप सिगनल का ए मार्कर बुझा मिले और सिगनल, 'ऑन' बना रहता है तो वह गाड़ी को इस मॉडिफाइड सेमी- ऑटोमैटिक स्टाप सिगनल की जड़ पर रोकेंगे और अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से एम.टी.आर.सी/एस.पी.टी. पर सम्पर्क स्थापित करेंगे तथा इसके बारे में सूचित करेंगे। स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि मॉडिफाइड सेमी- ऑटोमैटिक सिगनलिंग प्रचलन में नहीं है, लोको पायलट को एक प्राइवेट नम्बर देंगे जिसे वह (लोको पायलट) अपनी डायरी में अंकित कर लेंगे। प्राइवेट नम्बर मिल जाने के बाद लोको पायलट सानि. 9.02 का अनुपालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि टेलीफोन उपलब्ध नहीं है अथवा खराब है और लोको पायलट सम्बन्धित स्टेशन मास्टर से सम्पर्क नहीं कर पा रहे हैं तथा सिगनल 'ऑन' की स्थिति में बना रहता है, तो वह पाँच मिनट तक प्रतीक्षा करेंगे और सिगनल 'ऑन' बना ही रहता है तो वह सानि. 9.02 के अनुसार आगे बढ़ेंगे और इसकी सूचना अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को लिखित मेमो द्वारा देंगे।

11 ऑटोमैटिक ब्लॉक खंडों में दो समीपवर्ती स्टेशनों के बीच किसी कारणवश जहाँ मॉडिफाइड सेमी-ऑटोमैटिक स्टॉप सिगनल नहीं लगाये जा सकते, वहाँ डिस्पैचिंग स्टेशन के ऐडवांस्ड स्टार्टर सिगनल तथा अगले स्टेशन (रिसीविंग स्टेशन) के होम सिगनल की उपर्युक्त इन्टरलॉकिंग द्वारा एक समय में केवल एक गाड़ी को सेक्शन में प्रवेश करने की अनुमति होगी और यह इन्टरलॉकिंग इस प्रकार होगी कि डिस्पैचिंग स्टेशन का ऐडवांस्ड स्टार्टर सिगनल तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक कि अगले स्टेशन के होम सिगनल से आगे पर्याप्त दूरी तक लाइन साफ न हो। दोनों समीपवर्ती स्टेशन मास्टरों द्वारा मॉडिफाइड ऑटोमैटिक ब्लॉक सिगनलिंग स्वीच के प्रचालन द्वारा इसे सुनिश्चित किया जाएगा।

पू.म.र./ सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-10 दिनांक 30.08.2024



मद संख्या - 10

पृष्ठ संख्या 292 पर, सहायक नियम 9.02 के उप-नियम (i) के तीसरे पारा के रूप में और सहायक नियम 9.02 के उप-नियम (iii) के द्वासरे पारा के रूप में निम्नलिखित को जोड़े -

गोलाई, वर्षा, धूंध, धूल भरी आंधी या किसी अन्य कारण से अथवा इंजन पुशिंग के मामलों में, जब आगे की दृश्यता स्पष्ट न हो तो लोको पायलट अत्यधिक सतर्कतापूर्वक उस गति से आगे बढ़ेगा जो किसी भी दशा में 10 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी।

पू.म.र./ सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-10 दिनांक 30.08.2024

मद संख्या - 11

पृष्ठ संख्या 295 पर वर्तमान सामान्य नियम 9.04 के खंड (क) में "हस्तचालित रोक (स्टाप) सिगनल" शब्दों को हटाकर "हस्तचालित या अर्द्ध-स्वचालित रोक (स्टाप) सिगनल", शब्दों को प्रतिस्थापित करें।

पू.म.र./ सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-10 दिनांक 30.08.2024

[प्राधिकार:- भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचनासंख्या:- 148, दिनांक 07.03.2024 एवं रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2023/सेफ्टी(ए एन्ड आर)/19/09 दिनांक 12.03.2024]

मद संख्या - 12

- पृष्ठ संख्या 296 पर सामान्य नियम 9.06 के विद्यमान पार्श्व शीर्ष को हटा कर इसके स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष को प्रतिस्थापित करें:-
"इकहरी लाइन पर स्वचालित ब्लाक क्षेत्र में हस्तचालित रोक सिगनल या अर्द्ध-स्वचालित रोक सिगनल को 'आफ' करने की शर्तें-;
- पृष्ठ संख्या 296 पर सामान्य नियम 9.06 का उप-नियम (1) और (2) को हटाकर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें -
(1) निकट (होम) सिगनल- यदि कोई गाड़ी अंतिम स्टेशन से भिन्न किसी अन्य स्टेशन के निकट (होम) सिगनल पर पहुँच रही है, तो वह सिगनल तब तक 'ऑफ' नहीं किया जाएगा जब तक कि लाइन न केवल प्रस्थान तक बल्कि उससे आगे भी पर्याप्त दूरी तक साफ नहीं है और इसके अतिरिक्त स्वचालित कार्यप्रणाली के लिए आगे वाले ब्लॉक सेक्शन की दिशा विपरीत दिशा में नहीं बदल दी गई है।
(2) अंतिम रोक (स्टाप) सिगनल- किसी गाड़ी के लिए अंतिम रोक (स्टाप) सिगनल तब तक 'ऑफ' नहीं किया जाएगा जब तक यातायात की दिशा स्थापित नहीं हो गई है और लाइन अगले स्वचालित रोक (स्टाप) सिगनल तक साफ है या जब अगला रोक सिगनल हस्तचालित या अर्द्ध-स्वचालित रोक (स्टाप) सिगनल है, तो उससे आगे पर्याप्त दूरी तक।"

पू.म.र./ सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-10 दिनांक 30.08.2024

[प्राधिकार:- भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचनासंख्या:- 148, दिनांक 07.03.2024 एवं रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2023/सेफ्टी(ए एन्ड आर)/19/09 दिनांक 12.03.2024]

मद संख्या - 13

- पृष्ठ संख्या 342 पर साधारण नियम 15.02 में निम्नलिखित को नये उप-नियम (ग) के रूप में जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"(ग) योजनाबद्ध रख-रखाव और आस्ति मरम्मत या प्रतिस्थापन या निर्माण कार्य "रोलिंग ब्लॉक कार्यक्रम" के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "रोलिंग ब्लॉक कार्यक्रम" से रखरखाव और आस्ति मरम्मत या प्रतिस्थापन या निर्माण कार्य के लिए अपेक्षित 52 सप्ताह तक की विनिर्दिष्ट अवधि में यातायात ब्लॉकों या वियोजनों (सिविल या विद्युत या सिगनल और दूरसंचार आदि, जिसके अंतर्गत गैर-अंतर्पार्शित कार्य भी हैं) की अग्रिम योजना अभिप्रेत है, जिसे तत्काल पूर्ववर्ती, सप्ताहों के उत्पादन का पुनर्विलोकन करते हुए और आगे आने वाले शेष सप्ताहों के लिए योजना बनाते हुए प्रत्येक सप्ताह एक-एक सप्ताह की योजना को जोड़कर रोलिंग आधार पर तैयार किया जाना है।

पू.म.रे./ सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-10 दिनांक 30.08.2024

[प्राधिकार:- भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचनासंख्या:- 687 , दिनांक 30.11.2023 एवं रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2023/सेफ्टी(ए एन्ड आर)/19/12 दिनांक 04.12.23]

मद संख्या - 14

पूर्व मध्य रेल के सहायक नियम में जहाँ कहीं भी शब्द 'स.स्टे.मा.' या 'सहायक स्टेशन मास्टर' प्रयुक्त हुआ है, उसे हटाकर शब्द 'स्टे.मा.' या 'स्टेशन मास्टर' से प्रतिस्थापित करें ।

पू.म.रे./ सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-10 दिनांक 30.08.2024

सर्व संबंधित पूर्व मध्य रेल के सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक - 2018 को तदनूसार संशोधित करेंगे एवं इसे सभी संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संसूचित करेंगे ।

570 30/8/24
 (मनोज सिंह)
 प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक
 पूर्व मध्य रेल
 दिनांक: 30.08.2024

सं० ई.सी.आर./परि.संरक्षा/सा.एवं स.नि./24/505